Government of India is giving special incentives by way of grant upto Rs. 3 crores per MW to the North Eastern States to encourage setting up of small hydro power projects up to 3 MW. Incentives upto Rs. 1.5 lakhs for detailed survey and investigation and upto Rs. 1 lakhs for Detailed Project Report preparation are also extended for small hydro power projects upto 3 MW station capacity.

Under the UNDP-GEF Hilly Hydro Project, implemented by Ministry of Non-Conventional Energy Sources (MNES), a zonal plan has been prepared for the development of small hydro power projects in the State of Assam. Two demonstration projects namely Nazirakhat (10 KW) and Kalmoni (100 KW) are being set up in the State, 50% cost of which is being borne by the Government.

(b) Government of Assam had requested setting up of Amguri Power Project in Assam by National Thermal Power Corporation (NTPC) or North-Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO). Since the likely size of the project would be around 100 MW, it cannot be developed as an Inter-State project by NTPC or NEEPCO. Therefore, the Government of Assam has been informed that this project be developed as an Assam State Electricity Board project.

बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी

1655. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निवेश की गई पूंजी पर 16 प्रतिशत तक का लाभांश पाने के लिए बिजली की दरों को बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (घ) भारत सरकार ने टैरिफ प्रयोजनों के लिए इक्विटी की वसूली दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया है जो कि एनटीपीसी के विद्युत केन्द्रों के संबंध में दिनांक 1.11.1998 से प्रभावी होगी। राज्य विद्युत बोर्ड की बिलिंग पर इस वृद्धि का समग्र प्रभाव बहुत कम होने की संभावना है। एनटीपीसी राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत का थोक पूर्तिकर्ता है और वह उद्योग को परोक्ष रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहा है।

उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत(प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन नहीं होने की स्थिति में किया जाता है। टैरिफ का निर्धारण करते समय वे न केवल एनटीपीसी में खरीदी गई विद्युत की लागत अपितु उत्पादन की स्वयं अपनी लागत, अपने पारेषण और वितरण उपरिव्यय और उद्योग, कृषि व क्षेत्रों के बीच अंतर-आर्थिक सहायता पर भी विचार करते हैं। जैसा कि उपर्युक्त है इक्विटी की दर में बढ़ोतरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि विद्युत की लागत देश के औद्योगिक उत्पादन में किए जाने वाले निवेशों में से केवल एक निवेश है।

Power crisis in states

1656. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the growing power crisis in the country particularly in Punjab;

(b) if so, the steps taken to overcome the same;

(c) the achievements to be made in that direction in the 9th Five Year Plan; and

(d) the action proposed to be taken in 1999-2000 and in the remaining period of the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF POWER, MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) The energy shortage in the country has come down from 11.5% in 1996-97 to 5.5% in 1998-99 (upto January, 1999). Punjab has a 2.4% energy shortage in 1998-99 (upto January, 1999). Power supply position in Punjab is by and large comfortable and the State has been

experiencing only marginal shortages due to spurt in agricultural demand.

(b) In order to make optimal use of available power resources and to improve the overall availability of power and generation capacity in the country, following measures are being taken:

- Encouragement to private sector for investment in power sector.
- Renovation and modernisation of existing generating stations.
- Co-ordinated operation of hydro/ thermal/nuclear and gas turbine power stations.
- Encouraging inter-regional power exchanges from surplus to deficit regions.
- Staggering of weekly off/recess hours of industrial consumers and regulation of power supply to agricultural consumers through grouping restrictions to reduce peak demand.
- Augmentation of transmission and transformation capability in the power system.
- Reduction of transmission and distribution losses.
- Installation of shunt capacitors to improve voltage profile.

(c) In the Draft Ninth Plan a capacity addition programme of around 40,000 MW has been envisaged.

(d) Steps have been taken to expedite commissioning of various generating units planned for 9th Plan period. Close monitoring of the construction activities is being carried out to adhere to the targets. Associated transmission facilities have also been planned and are being implemented. Guidelines have also been issued to minimise distribution losses and necessary plans for strengthening distribution system have been formulated.

विद्युत प्रेषण तथा वितरण घाटों में बढ़ोतरी

1657. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1997-98 में विद्युत प्रेषण तथा वितरण घाटों में बढ़ोतरी हुई;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1997-98 में घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य सभी राज्यों में से दिल्ली में हुए इस प्रकार के घाटों का प्रतिशत सबसे अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में इस प्रकार के घाटों की आंकलित मात्रा कितनी है तथा इस अधिकतम घाटे के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) वर्ष 1997-98 के विद्युत पारेषण और वितरण हानियों से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, यह सच है कि वर्ष 1993-94 से पारेषण एवं वितरण हानियां (चोरी समेत) बढ़ी है। वर्ष 1996-97 जो कि हानि संबंधित आंकड़ो की उपलब्धता के लिए नवीनतम वर्ष है, के लिए हानियां अखिल भारतीय आधार पर अंनतिम रूप से 23.41 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1996-97 की चोरी समेत पारेषण एवं वितरण हानियां नीचे दी गई है;

वर्ष	पारेषण एवं वितरण हानियां (अखिल भारत)
1993-94	21.41 प्रतिशत
1996-97	23.41 (अनतिंम)
1997-98	उपलब्ध नहीं

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1996-97 (आंकड़ो की उपलब्धता के लिए नवीनतम वर्ष) के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड में चोरी समेत पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत उसी अवधि के लिए 23.41 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 49 प्रतिशत था।

उच्च पारेषण एवं वितरण के कारण नीचे दिए गये है:-

1. पारेषण और वितरण प्रणाली में अपर्याप्त निवेश
2. लोड प्वाइंट पर अपर्याप्त अभि-क्रियाशील क्षतिपूर्ति
3. उपस्कर का अपर्याप्त अनुरक्षण
4. उर्जा मीटरों की ऐच्छिक फेर-बदल और बाई पासिंग, उर्जा मीटरों का कार्य न करना, खराब मीटर, मीटर रीडिंग संबंधी अशुद्धियां उर्जा की चोरी अनाधिकृत कनैक्शन।